



चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी किए

इसे भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्यक्षमता, एकीकरण और थियेटराइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तीन संयुक्त सिद्धांतों के बारे में

- विशेष बलों (Special Forces: SF) वाले ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत:
 - 🖭 इसका उद्देश्य थल सेना के पैरा-SF, नौसेना के मरीन कमांडो (MARCOS) और भारतीय वायुसेना के गरुड़ के बीच साझा समझ, शब्दावली और बुनियादी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है।
 - इसमें डुप्लीकेशन को कम करने, भविष्य के हथियारों के स्वरूप के साथ-साथ स्थल, जल और वायु क्षेत्रों में कमांड एवं नियंत्रण रणनीतियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है।
- एयरबोर्न (AB) और हेलीबोर्न (H) ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत:
 - इसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करना है।
 - यह योजना और क्रियान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं को समान बनाकर सैद्धांतिक कमियों को दर करने का प्रयास करता है। साथ ही, यह नए आधुनिक हवाई वाहनों और मानवरहित प्रणालियों को एकीकृत भी करता है।
- मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) के लिए संयुक्त सिद्धांत:
 - 🟵 यह स्थल, जल, वायु, साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक (Cognitive) डोमेन में सैन्य बलों एवं गैर-सैन्य राष्ट्रीय क्षमताओं को शामिल करता है।
 - इसमें राजनीतिक-सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य और गैर-सैन्य साझेदारों को एकीकृत करते हुए "संपूर्ण राष्ट्र" दृष्टिकोण (Whole-Of-Nation Approach: WONA) पर जोर दिया गया है।

संयुक्त परिचालन क्षमता (Joint Operational Capability): सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और प्रभावशीलता बढ़ती है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के बारे में

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है।
- CDS तीनों सैन्य बलों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 के परिणाम जारी किए गए

सर्वेक्षण के परिणाम केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किए गए हैं।

- सर्वेक्षण का उद्देश्य विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और घटकों में आए बदलावों का अध्ययन करना तथा इनमें मूल्य-वर्धन, रोजगार सुजन और पूंजी निर्माण पर महत्वपूर्ण अंतर्दिष्टि प्रदान करना है।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष सांख्यिकी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत आयोजित किया जाता है।
- इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयां शामिल जाती हैं:
 - कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने;
 - बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत बीड़ी और सिगार निर्माण इकाइयां; तथा
 - वैसे विद्युत उपक्रम जो **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** (CEA) के पास पंजीकृत नहीं हैं।
- रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण व वितरण डिपो, रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडारण, आदि इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए जाते हैं।
- सर्वेक्षण के परिणाम राज्यों और प्रमुख उद्योगों के स्तर पर तैयार किए गए हैं।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- सकल मुल्यवर्धन (GVA) की दृष्टि से शीर्ष 5 उद्योग: बेसिक मेटल, मोटर वाहन, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद।
- रोजगार देने के मामले में शीर्ष 5 राज्य: तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
- सकल मुल्यवर्धन (GVA) में पिछले वर्ष की तुलना में 11.89% वृद्धि दुर्ज की गई है।
- औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- नियोजित कर्मियों में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक में 2022-23 की तुलना में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।

सर्वेक्षण में प्रयुक्त शब्द/ अवधारणा और परिभाषाएं

सकल मूल्य-वर्धन (Gross Value Added: GVA): उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को सकल मूल्य वर्धित (GVA) कहा जाता है। इसे कुल आउटपुट में से कुल इनपुट की लागत घटाकर प्राप्त किया जाता है।

संयुक्त ऑपरेशन्स का महत्व

सहयोग (Synergy): प्रदोटारी और सहयोग से

- निवल मूल्य-वर्धन (Net Value Added: NVA): इसे कुल आउटपुट में से कुल इनपुट और मूल्यह्नास को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- स्थायी पूंजी (Fixed Capital): यह लेखा वर्ष (Accounting year) की समापन तिथि पर कारखाने के स्वामित्व वाली स्थायी या अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्नास के बाद बचे मूल्य को दर्शाता है।
 - स्थायी पूंजी का आशय उन निवेशों से है जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों या परियोजनाओं (जैसे- भवन, मशीनरी या भूमि) में किए जाते हैं, जबकि कार्यशील पूंजी (Working Capital) का उपयोग व्यवसाय के दैनिक संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए किया जाता है।





WHO और यूनिसेफ द्वारा प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट 2000-2024 जारी

इस रिपोर्ट में जल, सैनिटेशन और स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene: WASH) की उपलब्धता के मामले में असमानताओं को उजागर किया गया है। इन असमानताओं के कारण SDG 6 (सभी के लिए स्वच्छ जल और सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना) को हासिल करने में बाधा उत्पन्न हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वैश्विक स्तर पर:
 - खुले में शौच: निम्न आय वाले देशों में इसकी दर वैश्विक औसत से 4 गुना अधिक है।
 - विश्व की 58% आबादी को बेहतर रूप से प्रबंधित सैनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं।
 - सुरक्षित प्रबंधन वाला पेयजल: इसका कवरेज 68% (2015) से बढ़कर 74% (2024) हो गया है।
 - महिलाओं पर बोझ: महिलाओं द्वारा पानी लाने में अधिक समय व्यतीत करने के प्रमाण सामने आ रहे हैं।
 - मेंस्ट्रअल स्वास्थ्य संबंधी डेटा: इस मामले में 70 देशों में सभी आय स्तरों में व्यापक अंतराल मौजूद है।
- भारत के संबंध में:
 - खुले में शौच: खुले में शौच की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी ग्रामीण इलाकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में यह समस्या अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
 - सैनिटेशन कवरेज: बुनियादी सैनिटेशन तक पहुंच लगभग सार्वभौमिक है, लेकिन उनके उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन की गुणवत्ता में कमी दर्ज की गई है।
 - पेयजल: घरेलू नल जल कनेक्शन का विस्तार हुआ है।
 - सुरिक्षित तरीके से प्रबंधित पेयजल की उपलब्धता सार्वभौमिक स्तर तक नहीं पहुंच पाई है।
 - 😥 🛮 समानता के मुद्दे: जल की उपलब्धता और सैनिटेशन के मामले में हाशिये पर मौजूद समृह (जनजातीय आबादी, सबसे गरीब) अभी भी पिछड़े हुए हैं।

भारत में WASH संबंधी पहलें

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): इसके चलते खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया गया है। साथ ही, इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाया गया है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और शिश मृत्यु दर में भी कमी आई है।
- जल जीवन मिशन (JJM): इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

BioE3 नीति को जारी हुए एक साल पूरा हुआ

BioE3 से आशय है: 'अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी' (Biotechnology for Economy, Environment and Employment)।

- BioE3 नीति के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत का पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। इससे जैव प्रौद्योगिकी को भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक बनाने में मदद मिलेगी।
- 😥 नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क में 6 संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान प्रुफ ऑफ कॉन्सेप्ट विकास को बड़े स्तर पर ले जाने, स्वदेशी जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे। BioE3 नीति के बारे में
- उद्देश्य: बायो-इनेबलर्स की स्थापना कर जैव-आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके व्यावसायीकरण में तेजी लाना।
 - बायो-इनेबलर्स में शामिल हैं: बायो-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (बायो AI) हब, बायोफाउंड्रीज और बायोमैन्युफैक्चरिंग हब।
- कार्यान्वयन: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा।
- इसमें 6 थीमेटिक क्षेत्रकों को प्राथमिकता दी गई है:
 - जैव-आधारित रसायन और एंजाइम्स;
 - फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन;
 - ⊕ परिशुद्ध जैव-चिकित्सा;
 - ⊙ जलवायु-अनुकूल कृषि;
 - कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग; और
 - भविष्योन्मुखी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान।
- पिछले एक वर्ष में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां:

- जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?
- यह नवीकरणीय जैव संसाधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सतत विकास और आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करती है।
- प्रमुख क्षेत्रक: बायोफार्मा और बायोमेडिकल, बायोएग्री, बायोइंडस्ट्रियल, बायोरिसर्च, आदि।

भारत में जैव-अर्थव्यवस्था की स्थिति

- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर की थी जो 2024 में बढ़कर 165.7 बिलियन डॉलर की हो गई। 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, यह भारत की GDP में 4.25% का योगदान दे रही है।**
- पंजाब के मोहाली में भारत के पहले बायोमैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया।
- सेल और जीन थेरेपी, क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि, कार्बन कैष्चर और फंक्शनल फूड्स पदार्थ जैसे नए क्षेत्रकों को शामिल करने वाले एक दर्जन से अधिक संयुक्त अनुसंधान कार्य शुरू किए गए।
- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने केंद्र-राज्य साझेदारी शुरू की है। इस साझेदारी के तहत BioE3 सेल स्थापित करने के लिए असम के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया है।









केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पी.एम. स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी

अब पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने की अवधि 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 कर दी गई है। पुनर्गठित पी.एम. स्वनिधि योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुँचाना है जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे।

योजना की नई विशेषताएं

- ऋण लेने की अधिकतम राशि में वृद्धिः
 - पहले चरण में ऋण: इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है।
 - दुसरे चरण में ऋण: 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये।
 - ⊙ तीसरे चरण में ऋण: 50,000 रुपये (कोई परिवर्तन नहीं)।
- UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड: दुसरे चरण का ऋण चुका देने के बाद वेंडर्स को UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आपातकालीन स्थिति में शीघ्रता से ऋण मिल सकेगा।
- डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन: UPI से खुदरा/ थोक लेनदेन पर अधिकतम 1,600 रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- क्षमता निर्माण: स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, डिजिटल कौशल, मार्केटिंग सहयोग, तथा FSSAI के साथ साझेदारी में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण के जरिए सशक्त बनाया जाएगा। पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि योजना) के बारे में
- योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- योजना शुरू करने वाला मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- क्रियान्वयन मंत्रालय/ विभागः
 - 🕤 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
 - चित्तीय सेवाएं विभाग (DFS): यह बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण/ क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- उद्देश्यः ऋण के रूप में कार्यशील पुंजी प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करना, और स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान/ मान्यता प्रदान करना।
- लक्षित लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों में 24 मार्च, 2020 या उससे पहले कार्य कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स/ हॉकर्स।



अन्य सुर्खियां



गंगोत्री ग्लेशियर

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, गंगोत्री ग्लेशियर में पिछले चार दशकों में 10 प्रतिशत बर्फ पिघल गई है। इससे ग्लेशियर से जल प्रवाह घट रहा है।

गंगोली ग्लेशियर के बारे में

- गंगोती ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है।
- यह ग्लेशियर भागीरथी नदी के जल का स्रोत है। भागीरथी, गंगा नदी के जल के प्रमुख स्रोतों में
 - पर्वत से नीचे की ओर बहती हुई भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और फिर आगे गंगा नदी के नाम से बहती है।
- यहाँ गंगोत्नी राष्ट्रीय उद्यान भी है।
 - प्राप्त प्रमुख जीव: हिम तेंदुआ, हिमालयन ब्लू शीप (भरल), हिमालयन मोनाल।
 - हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है।



हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM)

सैपिएंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक **नया** AI **मॉडल विकसित** किया है।

गौरतलब है कि ChatGPT जैसे मौजदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLM) में चेन-ऑफ-थॉट (CoT) संबंधी रीजनिंग पर निर्भरता के कारण कुछ किमयां हैं।

हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM) के बारे में

- **मॉडल:** यह मानव मस्तिष्क की **हाइरार्किकल** और मल्टी-टाइम स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित है।
 - यह वैसे ही कार्य करता है जैसे मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग समय अवधि की जानकारी को जोड़ते हैं।
- HRM कैसे कार्य करता है:
 - HRM ऐसा मॉडल है जो सोचने (तर्क) की प्रक्रिया को शुरू से अंत तक एक ही बार में पूरा कर देता है, और बीच-बीच के छोटे-छोटे स्टेप्स को समझाने या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं
 - यह दो मॉड्यूल का उपयोग करता है:
 - उच्च स्तरीय मॉड्यूल: धीमी, अमूर्त योजना।
 - निम्न-स्तरीय मॉड्यूल: तेज़, विस्तृत गणनाएँ।





ब्राइट स्टार अभ्यास

सशस्त्र बल और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय बहुपक्षीय अभ्यास 'ब्राइट स्टार 2025' में भाग लेंगे। सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार के बारे में

- शुरुआत: इस अभ्यास की शुरुआत कैम्प डेविड समझौते (1977) के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई।
 - प्रथम संस्करण: 1980, मिस्र में आयोजित।
 - विस्तार: 1995 से इसमें कई देशों ने भाग लेना शुरू किया।
- यह क्षेत्र में तीनों सेनाओं के सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक है।



पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता का अनुच्छेद ९.१

भारत और विकासशील देश ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले COP-30 में पेरिस समझौता के अनुच्छेद 9.1 को फिर से वार्ता के केन्द्र में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

पेरिस समझौता का अनुच्छेद 9.1

- मुख्य सिद्धांत: विकसित देश अपने पिछले वित्तपोषण दायित्वों को जारी रखते हुए, कन्वेंशन के तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएँगे।
- आधार: उपर्युक्त दायित्व 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और ऐतिहासिक जिम्मेदारी (common but differentiated responsibilities and historical responsibility)' के सिद्धांत पर आधारित है।



अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने ईरान के बुशहर स्थित प्रमुख परमाणु केंद्रों का निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 1957 में हुई।
- परिचय: यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख अंतर-सरकारी फोरम है।
- कार्य: यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करती है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र-सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान
- नीति-निर्माण संस्थाएं: इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ⊙ जनरल कांफ्रेंस: इसमें IAEA के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं।
 - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: 35-सदस्य।
- मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)।
- पुरस्कार: 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित।



क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity: PPP)

EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, PPP के आधार पर भारत दनिया की दसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

क्रय शक्ति समता (PPP) के बारे में

- इसका उपयोग देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया
- क्रय शक्ति समता एक आर्थिक सिद्धांत है जो अलग-अलग देशों की मुद्राओं की तुलना "समान वस्तुओं के बास्केट" की उनकी खरीद क्षमता के आधार पर करता है।
- PPP के अनुसार, अगर व्यापार में कोई अवरोध (जैसे टैक्स या आयात-निर्यात की मालात्मक सीमा) नहीं हो, तो विनिमय दरें इस तरह से समायोजित होंगी कि एक ही वस्तु की कीमत भारत हो या कोई दसरा देश, दोनों जगह समान होगी।



यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने केंद्रीय शिक्षा मंलालय के साथ एक समझौता किया है, ताकि स्कूली बच्चों के आधार नंबर से संबंधित लंबित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) स्टेटस को UDISE+ एप्लिकेशन पर अपडेट कराई जा सके।

- 🕨 यह कदम करोड़ों विद्यार्थियों के आधार नंबर में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को आसान बनाएगा। UDISE+ के बारे में
- यह केंद्रीय शिक्षा मंतालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन सूचना
- उद्देश्य: देश भर से मानकीकृत 'डेटा कैप्चर फॉर्मेट' के जरिए विश्वसनीय और तुलनात्मक सूचना को ऑनलाइन और रियल टाइम में कुशलतापूर्वक एकत्र करना।
- यह एक केंद्रीय प्लेटफ़ॉर्म है। यह प्रत्येक स्कूल को अपनी प्रोफ़ाइल (जैसे अवसंरचना और सुविधाएं) तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों से संबंधित जानकारी को प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड रखने और प्रस्तत करने की सविधा प्रदान करता है।



3I/ATLAS

3I/ATLAS एक धूमकेतु है। इसे 2025 में रियो हर्टाडो (चिली) में स्थित एटलस सर्वेक्षण टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया।

🕨 एटलस का पूर्ण रूप है: एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल-इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम।

3I/ATLAS के बारे में

- यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आने वाला तीसरा ज्ञात खगोलीय पिंड है।
 - ऐसा पहला पिंड 2017 में खोजा गया 1I/'ओउमुआमुआ (1I/'Oumuamu) था, और
 - उसरा पिंड 2019 में खोजा गया धूमकेतु 2I/बोरिसोव था।
- इसका कक्षीय पथ हाइपरबॉलिक होने के कारण इसे अंतर-तारकीय (interstellar) पिंड के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- हमारे सौरमंडल के अन्य पिंडों की तरह यह सूर्य के चारों ओर नियमित कक्षीय परिक्रमा पथ का अनुसरण नहीं करता है।



ग्लैंडर्स

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने संशोधित राष्ट्रीय ग्लैंडर्स-कार्ययोजना जारी की है।

ग्लैंडर्स के बारे में

- यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः घोड़ों, गधों और खच्चरों को प्रभावित करता है।
- यह 'पशुओं में संक्रामक और संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम (PCICDA), 2009' के अंतर्गत अधिसृचित रोग है।
- रोग का कारण: बैक्टीरियम बर्कहोल्डरिया मैलेई।
- यह रोग मनुष्यों में भी फैल सकता है।
- यह प्राणघातक पशुजन्य रोग है। इसका अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

























